**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**

अपील / सीलिंग / 4796 / 2005 / हनुमानगढ़

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुामनगढ़

...अपीलान्ट

बनाम

बलवीर पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी ग्राम सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ़

...रेस्पोन्डेन्ट्

**एकल पीठ**

**श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य**

उपस्थितः–

श्रीमती पूनम माथुर, अति. राज. अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से ।

रेस्पोन्डेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

———

दिनांकः 27–1–2021

**निर्णय**

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 23(2)ए राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के विरूद्ध निर्णय दिनांक 24–6–2004 जो कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमागनढ़ द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 19 / 2003 में पारित किया।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अधनीस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी व अप्रार्थी के पिता स्वर्गीय देवीलाल के पास 304–10 बीघा भूमि मानते हुए 142–06 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मान कर ड्राफ्ट स्टेटमेन्ट जारी किया। अप्रार्थी द्वारा इन तथ्यों पर उजरात पेश किये गये कि अप्रार्थी व स्वर्गीय देवीलाल के परिवार के पास मौजा सालीवाला में वाके चक 3 एमकेएस में 108–02 बीघा, चक 8 एसबीएन में 84–14 बीघा, चक 7 एसबीएन में 21 बीघा व चक 5 एमकेएस में 13 बीघा कुल 226–16 बीघा भूमि मय गैरमुमकिन व बारानी थी। स्वर्गीय देवीलाल के खिलाफ पुराने सीलिंग कानून के तहत चली कार्यवाही में 85–10 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण की जा चुकी है तथा यह 85–10 बीघा भूमि भू अभिलेख में राजकीय भूमि दर्ज हो चुकी है। बारानी भूमि को नहरी भूमि में परिवर्तित कर गणना करने व गैर मुमकिन भूमि कम करने तथा अप्रार्थी की 2 यूनिट मानने व परिवार के सदस्यों की सही गणना करने व पुराना सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहण भूमि को कम

करने के पश्चात अप्रार्थी के पास निर्धारित तिथि को सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29–11–2001 से 8–06 बीघा सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण करने का आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 24–6–2004 से स्वीकार कर लिया जिससे व्यथित होकर राज्य सरकार द्वारा यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमने सरकार की ओर से अति. राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी। रेस्पोन्डेन्ट की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं।

4– विद्वान अति. राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी जिसको अन्दर मियाद शुमार करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा त्रुटि कारित की गई है। उनका यह भी कथन है कि रेस्पोन्डेन्ट देवीलाल ने अपने घोषणा पत्र में परिवार के सदस्यों की संख्या 10 बताई है जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार उसके परिवार में 8 सदस्य है एवं रेस्पोन्डेन्ट् बलवीर स्वयं ने अपने बयान में स्वयं सहित परिवार में छः सदस्य बताये है और इसी आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने सीलिंग सीमा का निर्धारण किया गया था जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उलटने में भारी भूल की है। अति. राजकीय अभिभाषक का यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार भूमि की सही रूप से गणना करने पश्चात निर्णय पारित किया गया था। पुराने सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत गणना करते समय बारानी भूमि को नहरी भूमि में परिवर्तित करने पर 2 बीघा भूमि बारानी भूमि के बराबर 1 बीघा नहरी भूमि मानी गयी। इसी अनुसार गणना कर सीलिंग सीमा का निर्धारण किया था अतः नये सीलिंग अधिनियम में भी इसी अनुसार गणना सही की गई है किन्तु अतिरिक्त जिला कलक्टर ने उक्त निर्णय को निरस्त करने में भारी भूल की है। अति. राजकीय अभिभाषक का यह भी कथन है कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता वक्त बहस पेश करने से अपीलान्ट सरकार को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक त्रुटि

कारित की है। अंत में अति. राजकीय अभिभाषक ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5— हमनें अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी संगरिया के निर्णय दिनांक 29—11—2001 के विरूद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 13—12—2001 को प्रस्तुत की गई है जो कि स्पष्ट रूप से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा नये सीलिंग कानून के तहत दिनांक 29—11—2001 को निर्णय पारित कर घोषणाकर्ता के पास 221—14 बीघा नहरी भूमि होना मानते हुए देवीलाल को 62—10 बीघा भूमि व बलबीर को 75 बीघा भूमि 137—10 बीघा नहरी भूमि रखने का अधिकारी मानते हुए शेष 84—04 बीघा नहरी भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण योग्य मान कर घोषणाकर्ता की पुराने सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहित 67—18 बीघा नहरी, 16 बीघा बारानी व 1—12 बीघा गैर मुमकिन कुल 85—10 बीघा भूमि जिसे 75—08 बीघा नहरी भूमि के बराबर मानते हुए इस भूमि को कम कर शेष 8—06 बीघा नहरी भूमि का कब्जा बहक सरकार लेने का आदेश किया है। नयी सीलिंग कानून में जिला श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ व अनूपगढ़ तहसील के क्षेत्र को छोड़कर जिले की अन्य तहसीलों को सेमी—डेजर्ट जोन में शामिल किया गया है। सेमी—डैजेर्ट जोन में 8 एकड़ बारानी को 1 एकड़ नहरी भूमि के बराबर माने जाने का प्रावधान है। तहसील टिब्बी सेमी—डेजर्ट जोन में शामिल होने के कारण यहां भी 8 बीघा बारानी को एक बीघा नहरी के बराबर माना जाना चाहिए किन्तु पुराने सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण योग्य भूमि की गणना करते समय 2 बीघा बारानी भूमि को 1 बीघा नहरी भूमि मानकर गणना की गई ह अतः नये सीलिंग कानून के अनुसार पूर्व में अधिग्रहित भूमि की गणना तद्नुसार किये जाने पर पूर्व में अधिग्रहित भूमि भी 67.18 बीघा + 2 बीघा अर्थात 69.18 बीघा ही रह जायेगी। घोषणाकर्ता को दोहरा लाभ नहीं दिया जा सकता है अतः पूर्वानुसार 2 बीघा भूमि बारानी को 1 बीघा नहरी मानकर की गणना समुचित है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 12—5—1953 को विक्रय सम्बंधी सूचना उपखण्ड अधिकारी के निर्णय तक उन्हें नहीं दी गई तथा सम्बंधित विक्रय का नामान्तकरण वर्ष 1970 के बाद हुआ है जिसे उपखण्ड अधिकारी के द्वारा गणना में शामिल करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है।

8— अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8— परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, हनुमागनढ़ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 24—6—2004 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13—12—2001 बहाल रखा जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(महेन्द्र कुमार पारख)
सदस्य